टी०ए० मिस केस सं० 250/2017-18

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक विक्रेता **टापु सुन्डी, पिता– स्व० दुलमु सुंडी,** निवासी ग्राम– **नरसन्डा,** थाना– **मुफ्फसिल,** जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **गुईरा,** थाना नं०– **666** के अन्दर खाता नं०– 292, प्लॉट नं०– 3585, **रकवा– 0.20 एकड़** भूमि क्रेता **मनीला सुन्डी, पिता– हरिहर सिंह सुन्डी,** निवासी ग्राम– **करकट्टा,** थाना– **मुफ्फसिल चाईबासा** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **खाता नं०– 292, प्लॉट नं० 3585 रकवा– 0.42 डी० कैफियत कॉलम में आवेदक के पिता दुलमु हो के भाई नन्दु हो के नाम दर्ज है। हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदनाकर खतियान रैयत नन्दु हो निः सन्तान मृत्यु हो गया है अशंदारों के आपसी बांटवारे में प्रश्नगत प्लॉट आवेदक को हिस्सा मिला है। तथा अंशदारों का अनापति आवेदन भी प्राप्त है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 566, दिनांक– 11.05.2018 के द्वारा कुर्सीनामा तथा विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ऋण चुकाने एवं गृह कार्य हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **मनीला सुन्डी, पिता– हरिहर सिंह सुन्डी,** निवासी ग्राम– **करकट्टा,** थाना– **मुफ्फसिल चाईबासा** के पास **2,00,000.00/– (दो लाख रुपये)** में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा के द्वारा लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति समुचित है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **टापु सुन्डी, पिता– स्व० दुलमु सुंडी,** निवासी ग्राम– **नरसन्डा,** थाना– **मुफ्फसिल,** क्रेता **मनीला सुन्डी, पिता– हरिहर सिंह सुन्डी,** निवासी ग्राम– **करकट्टा,** थाना– **मुफ्फसिल चाईबासा** के पास जमीन को कुल **2,00,000.00/– (दो लाख रुपये)** में मौजा– **गुईरा,** थाना नं०– **666** के अन्दर खाता नं०– 292, प्लॉट नं०– 3585, **रकवा– 0.20 एकड़** जमीन बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ....स्वीकृति.... दी जाती है। लेखापित 16-05-18 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। 16-05-18 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner